रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112020-223092
CG-DL-E-17112020-223092

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3626] **नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2020/कार्तिक 26, 1942**
No. 3626] **NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2020/KARTIKA 26, 1942**

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2020

का.आ. 4127(अ).—केंद्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिजर्व बैंक द्वारा उस धारा की उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड, करूर, तमिलनाडु के संबंध में 17 नवंबर, 2020, 18:00 बजे से 16 दिसंबर, 2020 तक, जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं, अधिस्थगन आदेश करती है और अधिस्थगन की अवधि के दौरान, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसा स्थगन, किसी भी रीति में, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने पर या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, उस बैंककारी कंपनी के विरुद्ध अधिस्थगन की अवधि के दौरान सभी कार्य और कार्यवाहियां आरंभ करने या जारी करने पर रोक लगाती है।

2. केंद्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि अधिस्थगन की अवधि के दौरान, लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (उक्त बैंककारी कंपनी), रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना,--

(क) किसी जमाकर्ता को उसके प्रत्यय में किसी बचत, चालू या किसी अन्य जमा खाते में, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, रखी हुई राशि में से पच्चीस हजार रुपए से अधिक किसी राशि का समग्र संदाय नहीं करेगा :

परंतु यदि जमाकर्ता एक ही हैसियत में और एक ही अधिकार के अधीन एक से अधिक खाते रखता है, तो सभी खातों से संदेय कुल रकम उपरोक्त इंगित सीमा से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि जहां कहीं ऐसे जमाकर्ता के पास बैंक को किसी रीति में संदेय शोध्य हैं, चाहे किसी उधार लेने वाले के रूप में या प्रतिभू के रूप में, ऐसे जमाकर्ता को संदेय रकम का संदाय, सुसंगत उधार खातों का समायोजन करने के पश्चात् किया जाएगा ;

(ख) किसी लेनदार को समग्र रूप से पच्चीस हजार रुपए से अधिक की राशि का संदाय नहीं करेगा, यदि इस आदेश में अन्यथा उपबंधित नहीं है, तथापि, यह निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा,--

(i) लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड द्वारा जारी किसी ड्राफ्ट या भुगतान आदेश, जो उस तारीख को असंदत्त है, जिसको अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है, के मद्दे रकम का संदाय करने को ;

(ii) 17 नवंबर, 2020 को या उससे पूर्व संग्रहण के लिए प्राप्त बिलों की आगमों के लिए रकमों के संदाय को ;

(iii) मांग मुद्रा/अंतर-बैंक उधारों, जिसके अंतर्गत प्रत्यय पत्र भी है, के लिए विद्यमान दायित्वों, जो अधिस्थगन अवधि के दौरान शोध्य हो रहे हैं, के मद्दे संदाय करने को ;

(iv) ऐसे अधिस्थगन, जिसके लिए व्यवस्थापन अभी होना है, की तारीख से पूर्व व्यापार को ।

(ग) किन्हीं ऋणों या अग्रिमों को प्रदान नहीं करेगा या किसी प्रत्यय लिखतों में विनिधान नहीं करेगा ।

3. उक्त लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के किसी जमाकर्ता को संदाय करने के संबंध में, पैरा 2(क) में उपबंधित शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिजर्व बैंक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा उक्त बैंककारी कंपनी को अपने जमाकर्ताओं को अप्रत्याशित व्ययों को चुकाने के लिए पच्चीस हजार रुपए से अधिक की रकम का संदाय करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा :

(i) जमाकर्ता या वास्तविक रूप से उस पर आश्रित किसी व्यक्ति के चिकित्सा उपचार के संबंध में ;

(ii) जमाकर्ता या वास्तविक रूप से उस पर आश्रित किसी व्यक्ति की उच्चतर शिक्षा के लिए भारत में या भारत से बाहर लागत को चुकाने के लिए ;

(iii) जमाकर्ता या उसके बालकों या वास्तविक रूप से उस पर आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह या अन्य समारोह के संबंध में अनिवार्य व्ययों के लिए ;

(iv) किसी अन्य अपरिहार्य आपात के संबंध में :

परंतु इस प्रकार अनुज्ञात रकम जमाकर्ता के प्रत्यय में से अतिशेष रकम में से संदत्त किए जाने के लिए—

(क) उक्त बैंककारी कंपनी के संबंध में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा मंजूर किसी पुनर्गठन या समामेलन की किसी स्कीम के अधीन उसे शोध्य संदाय और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी स्कीम के अधीन उक्त बैंककारी कंपनी के जमाकर्ता को किए गए किसी संदाय के विनियोग की स्कीम के संबंध में स्कीम के प्रवृत्त होने से पूर्व या प्रवृत्त होने पर, ऐसे देय के लिए हिसाब में लिया जाएगा ; और

(ख) पांच लाख रुपए से अधिक की राशि या ऐसे जमाकर्ता के खाते के प्रत्यय में वास्तविक अतिशेष रकम, इनमें से जो भी कम हो, से अनधिक नहीं होगी ।

4. केंद्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड उस पर अधिरोपित अधिस्थगन की अवधि के दौरान निम्नलिखित और संदाय, अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य बैंक द्वारा बैंककारी लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड को सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध अनुदत्त ऋणों या उधारों की रकमों का, जो उस तारीख को असंदत्त रहते हैं, जिसको यह आदेश प्रवृत्त होता है, को प्रति संदाय कर सकेगी ।

5. केंद्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि अधिस्थगन की अवधि के दौरान, लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड को, भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य बैंक में उसके खातों का पूर्वोक्त संदाय करने के प्रयोजन के लिए प्रचालन करना अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु इस आदेश में की किसी बात से भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य पूर्वोक्त बैंक द्वारा स्वयं का यह समाधान करने की अपेक्षा करना नहीं समझा जाएगा कि इस आदेश द्वारा अधिरोपित शर्तों को लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के पक्ष में किन्हीं रकमों को जारी करने से पूर्व अनुपालन किया जा रहा है ।

6. केंद्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड उन मालों का परिदान कर सकेगा या प्रतिभूतियों को जारी कर सकेगा, जिनको गिरवी रखा गया है, आडमान किया गया है, बंधक रखा गया है या अन्यथा उसे किसी उधार, नकद प्रत्यय या ओवरड्राफ्ट के प्रति प्रभारित किया गया है :

(i) किसी ऐसी दशा में, जिसमें, यथास्थिति, उधार लेने वाले या लेने वालों से शोध्य सभी रकमों का उसके द्वारा बिना किसी शर्त के पूर्ण संदाय प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ii) किसी अन्य दशा में, ऐसे परिमाण तक, जैसा आवश्यक या संभव हो, जो उक्त मालों या प्रतिभूतियों पर मार्जिन के समानुपातों को नियत समानुपात या समानुपातों से, इनमें से जो भी अधिक हो, कम किए बिना, जिन्हें इस आदेश के प्रवृत्त होने से पूर्व बनाए रखा गया था ।

[फा. सं. 7/114/2020-बीओए-1]

अमित अग्रवाल, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

(BANKING DIVISION)

ORDER

New Delhi, the 17th November, 2020

S.O. 4127(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of that section, hereby makes this Order of moratorium in respect of the Lakshmi Vilas Bank Limited, Karur, Tamil Nadufor the period with effect from 18:00 hrs on the 17th day of November, 2020 up to and inclusive of 16th day of December, 2020 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of sub-section (4) of section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its powers under section 38 of the said Act.

2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium, the Lakshmi Vilas Bank Limited (the said banking company) shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India,—

(a) make, in the aggregate, payment to a depositor of a sum exceeding twenty-five thousand rupees lying to his credit, in any savings, current or any other deposit account, by whatever name called:

Provided that if a depositor maintains more than one account in the same capacity and in the same right, the total amount payable from all the accounts together shall not exceed the limit indicated above:

Provided further that wherever such depositor is having dues payable to the bank in any manner, either as a borrower or surety, the amount payable to such depositor shall be made after adjusting the relevant borrowal accounts;

(b) make, in the aggregate, payment to any creditor exceeding a sum of twenty-five thousand rupees if not otherwise provided in this order, so however that this shall not affect—

(i) making of payment of amounts towards any drafts or pay orders issued by the Lakshmi Vilas Bank Limited and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

(ii) paying the proceeds of the bills received for collection on or before the 17th day of November, 2020;

(iii) making payment towards existing liabilities for call money or inter-bank borrowings including letters of credit, which are falling due during the period of moratorium; and

(iv) trades effected prior to the date of moratorium for which settlement is yet to take place;

(c) grant any loans or advances or make investments in any credit instruments.

3. Without prejudice to the conditions stipulated in sub-paragraph (a) of paragraph 2, in relation to payment to any depositor of the Lakshmi Vilas Bank Limited, the Reserve Bank may by a general or special order, permit the said banking company to allow payment to its depositors an amount in excess of twenty-five thousand rupees to meet unforeseen expenses, as under:

(i) in connection with the medical treatment of the depositor or any person actually dependent on him;

(ii) towards the cost of higher education of the depositor or any person actually dependent on him for education in India or outside India;

(iii) to pay obligatory expenses in connection with marriage or other ceremonies of the depositor or his children or of any other person actually dependent upon him;

(iv) in connection with any other unavoidable emergency:

Provided that the amount so allowed to be paid out of the balance lying to the credit of the depositor—

(a) shall be reckoned towards the payment due to him under any scheme of reconstruction or amalgamation as may be sanctioned by any competent authority in relation to the said banking company and subject to such conditions as may be provided under such scheme about appropriation of any payment made to a depositor of the said banking company before or on the coming into force of the scheme; and

(b) shall not exceed the sum of five lakh rupees or the actual balance lying to the credit of the account of such depositor, whichever is less.

4. The Central Government hereby further directs that the Lakshmi Vilas Bank Limited may, during the period of the moratorium imposed on it, make the following further payments, namely, the amounts for repaying loans or advances granted against Government securities or other securities, to the Lakshmi Vilas Bank Limited by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or by any other bank and remaining unpaid on the date on which this Order comes into force.

5. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium, the Lakshmi Vilas Bank Limited shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with any other bank for the purpose of making the payments aforesaid, provided that nothing in this Order shall be deemed to require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this Order are being observed before any amounts are released in favour of the Lakshmi Vilas Bank Limited.

6. The Central Government hereby also directs that the Lakshmi Vilas Bank Limited may release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft:

(i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by it, unconditionally; and

(ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before this Order came into force, whichever may be higher.

[F. No. 7/114/2020-BOA.1]

AMIT AGRAWAL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.